"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313] रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2006—अग्रहायण 29, शक 1928

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2005/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती अनिता जी. रावते, महासमुंद, छत्तीसगढ़ को जिला उपभोक्ता फोरम, महासमुंद में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2005/29.---भारत के संविधान के अनुच्छेद 548 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, विशेष सचिव.

Raipur, the 20th December 2006

NOTIFICATION

No. F 5-1/food/2005/29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government is hereby appoint Smt. Anita G. Raote, Mahasamund, Chhattisgarh as the member in the District Consumer Forum, Mahasamund with effect from the taking over the charge for a period of 5 years or 65 years age whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.